


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज जयदीप सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी). सू.अ.अपील संख्या 154 / 2023</p>	<p>न. व. तारीख अटकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए</p>
<p>08.08.23</p>	<p>अपीलार्थी जयदीप सिंह राठौड़ निवासी मकान न. 10 / 585, चौ.हा.बो., जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.05.2023 में (1) श्री शंकरदास पुत्र हनुमानदास के स्वामित्व की भूमि खसरा न. 135, ग्राम बोरानाडा, जोधपुर जो कि रीको द्वारा सन 1991 में अवाप्त की गई थी, की अवाप्ति की तारीख (2) अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर </p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर, जोधपुर (राब.) </p>	<p>न. व. तारीख अटकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए</p>